CUTS International

FRONT OF PACKAGE LABELLING

What is FoPL?

According to the WHO definition, FoPL refers to nutrition labelling systems that:

- Present on the front of food packages (in the principal field of vision) and can be applied across the packaged retail food supply;
- Comprise an underpinning nutrient profile model that considers the overall nutrition quality of the product or the nutrients of concern for non-communicable diseases (NCDs) or both; and
- Provide graphical information on the nutrient content or nutritional quality of products to complement the more detailed nutrient declarations usually given at the back of food packages.

A significant number of countries have implemented FoPL but in different formats to date. Besides, there is no global consensus on a particular type of FoPL.

Why do we Need a FoPL?

The purpose of FoPL is to alert consumers about unhealthy ingredients and allow consumers to correctly, quickly, and easily identify products that contain excessive amounts of sugar, fats, and sodium. This will also protect consumers from the top risk factors for mortality, i.e., high blood sugar levels, high blood pressure and overweight/obesity, harming people's health and development. Addressing such a health crisis has become vital during the ongoing COVID-19 pandemic, and persons living with such NCDs are at greater risk of becoming severely ill or dying from COVID-19.

Which type of FoPL is ideal for Indian consumers?

Scientific evidence shows that octagon-shaped front-of-package nutritional warnings indicating if a product is “HIGH IN” on or more critical nutrients is the best performing system to allow consumers to correctly, quickly, and easily identify products with unhealthy nutritional profiles. Countries including Chile, Israel, Peru, Mexico, Brazil and Uruguay have adopted a warning label system and several more countries plan to adopt it in the coming months.

What are the Policy Interventions on FoPL in India?

In 2013, in India, an Expert Committee constituted by the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) first recommended the FoPL in 2014. After years of consultations, the FSSAI published a draft Food Safety and Standards (Labelling and Display) Regulations in May 2018. It issued a draft notification on Food Safety Standards (Labelling and Display), Regulations in 2019. In December 2019, FSSAI delinked FoPL from general labelling regulations. Though some active discussions are underway, the country is yet to bring in some regulations regarding FoPL.

Why do Consumer Organisations in India Need to take a Common Stand on FoPL?

Across the globe, the Food and Beverage Industry strongly and extensively opposes such warning labelling regulations. Experience till now in India is quite similar. Companies in India, like most MNCs, prefer to opt for Guideline Daily Amount (GDA), which includes hard-to-understand numbers that can easily mislead even a diligent consumer and does not support consumers in making health-conscious choices. Besides being based on portions, the smaller the portion, the healthier a product looks.

फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग क्या है?

डब्ल्यू.एच.ओ. के अनुसार एफ.ओ.पी.एल. एक पोषण प्रदर्शित करने की प्रणाली है:

- भोजन में उपलब्ध पोषक तत्वों की जाँच हेतु खाद्य सामग्रियों के पैकेट पर (सामने की ओर) यह जानकारी दी जाती हैं।
- खाद्य पदार्थों के पेकेट पर सामने की ओर पोषक तत्वों के साथ-साथ हानिकारक तत्वों की भी जानकारी दी जाती है।
- यह फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग पीछे दिये गये लेबल के लिए पूरक साबित होती है।

फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग की आवश्यकता

इसका उद्देश्य यह है कि खाद्य पदार्थों के पैकेट में विद्यमान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक अवयवों के बारे में उपभोक्ताओं को सचेत एवं जागरूक करना है, ताकि उपभोक्ता वस्तु का उपभोग करने से पूर्व सही ढंग से और तुरंत उन उत्पादों की पहचान कर सकें जिनमें कि अधिक मात्रा में चीनी, वसा और नमक होते हैं। इससे उपभोक्ताओं में बीमारी व बीमारी से मृत्यु के जोखिम को कम किया जा सकता है और स्वास्थ्य पर पडने वाले विपरीत प्रभावों से बचाया जा सकता है। खाद्य पदार्थों में विद्यमान हानिकारक अवयवों में बहुत सी बीमारियों, जैसे उच्च शर्करा, उच्च रक्तचाप और अधिक वजन या मोटापे से उपभोक्ताओं को बचाया जा सकता है। वर्तमान समय में कोरोना महामारी के दौरान खाद्य पदार्थों पर लेबलिंग किया जाना अति आवश्यक हो गया है।

भारतीय उपभोक्ताओं के लिए किस प्रकार की एफ.ओ.पी.एल. आदर्श होगी?

वैज्ञानिक साक्ष्यों से यह जानकारी में आया है कि खाद्य पैकेट के सामने की ओर पोषण चेतावनी संकेत प्रदर्शित होते है तो उपभोक्ताओं को वस्तुओं के उपभोग के बारे में एवं स्वास्थ्य के बारे में भलिभांति जानकारी उपलब्ध हो जाती है। बहुत से देशों ने, जैसे कि चिली, इजरायल, पेरू, मैक्सिको, ब्राजील और उरूग्वे सहित अन्य देशों ने यह चेतावनी लेबल प्रणाली अपनाई है और कई देश आने वाले समय में इसको अपनाने के लिए अग्रसर है।

भारत में फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग पर नीतिगत हस्तक्षेप

वर्ष 2013 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई.) द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति ने सबसे पहले वर्ष 2014 में फ्रंट ऑफ पैकेजिंग लेबलिंग की सिफारिश की थी। वर्षों के गहन चिंतन मनन के बाद एफ.एस.एस.ए.आई. ने मई, 2018 में खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और डिस्प्ले) विनियमों का मसौदा प्रकाशित किया। वर्ष 2019 में एफ.एस.एस.ए.आई. ने सामान्य लेबलिंग नियमों से फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग को अलग कर दिया। यद्यपि कुछ उच्च स्तर पर विचार विमर्श चल रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में देश को फ्रंट ऑफ पैकेजिंग लेबलिंग के संबंध में कुछ नियम लाने होंगे।

भारत में उपभोक्ता संगठनों को फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग पर एक संयुक्त धारणा अपनाने की आवश्यकता क्यों है?

दुनिया भर में खाद्य और पेय पदार्थों के उद्योग दृढता से और बड़े पैमाने पर इस तरह के चेतावनी लेबलिंग नियमों का विरोध करते हैं। भारत में भी अब तक का अनुभव इसी से काफी मिलता जुलता है। अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियों की तरह भारत में गाइडलाइन डेली अमाउन्ट (जी.डी.ए.) का विकल्प चुनना पसंद करती हैं। जो कि उपभोक्ताओं को गुमराह करती है और आसानी से समझ में नहीं आती है, एवं उपभोक्ताओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने में सहायक नहीं है।